संख्या-521/2023/2895/22-2-2023-21(21)/2022 टी0सी0

प्रेषक,

मदन मोहन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 16 अगस्त, 2023

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हासम पुत्र श्री मलखू, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर की नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-22817/प्रो0अनु0(2)-252/2023 (बैठक दिनांक-07-06-2023) दिनांक 13.07.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हासम पुत्र श्री मलखू, वसेड़ा, थाना-छपार, जनपद-मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। दिनांक-16-01-2005 को वादी उसका भाई एजाज व हनीफ व अजादीन खेत में गन्ना छील रहे थे कि इसी दौरान सायं 4:30 बजे शाम उसके गांव के हासम व नाजम पुत्रगण मलखू अपने हाथों में तमंचे लेकर आये तथा आते ही कहा कि दीवानी के मुकदमें का पैरोकार एजाज ही है और इसको जिन्दा नहीं छोड़ना है। इतना कहते ही दोनों ने अपने हाथों में लिये तमंचे से एजाज की गोली मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-405/2005 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट-9, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 23.04200.9 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील निर्णीत करते हुये मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-22-10-2019 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 03.01.2023 तक 15 वर्ष, 20 दिन की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष 08 माह 13 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला मजिस्ट्रेट एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर द्वारा बंदी द्वारा हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित किये जाने, रिहा होने पर अपराध कारित किये जाने से इंकार नहीं किये जाने व शान्ति व्यवस्था भंग होने की संभावना होने, परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। क्रिमिनल रिट याचिका सं0-48/2014 भारत संघ बनाम वी0 श्रीहरन उर्फ मुर्गन व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.12.2015 के अनुपालन में मा0 दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के अभिमत दिनांक 24-05-2023 में अंकित किया गया है कि बन्दी की समयपूर्व रिहाई के आवेदन पर राज्य सरकार विचार कर सकती है व विधिनुसार निर्णय ले सकती है।

सलाहकार समिति का अभिमत है कि दिनांक-16-01-2005 को वादी उसका भाई एजाज व हनीफ व अजादीन खेत में गन्ना छील रहे थे कि इसी दौरान सायं 4:30 बजे शाम उसके गांव के हासम व नाजम पुत्रगण मलखू अपने हाथों में तमंचे लेकर आये तथा आते ही कहा कि दीवानी के मुकदमें का पैरोकार एजाज ही है और इसको जिन्दा नहीं छोड़ना है, इतना कहते ही दोनो ने अपने हाथों में लिये तमंचे से एजाज की गोली मारकर हत्या कर दी। बन्दी के कारागार से रिहा होने पर पुन: अपराध कारित कर सकता है। बन्दी द्वारा हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है। बन्दी के कारागार से रिहा होने पर पुन: संगीन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

घटना घटित होने व शान्ति व्यवस्था भंग होने की सम्भावना होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक व आर्थिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने के कारण जिला मजिस्ट्रेट व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में अंकन करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत सी०आर०पी०सी० की धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी हासम पुत्र श्री मलखू को उ0प्र0 जेल मैनुअल प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) डायरी सं0-10029/2020 हासम व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 04-03-2022 के अनुपालन में तथा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हासम (बन्दी संख्या-376/2016) पुत्र श्री मलखू, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
मदन मोहन
विशेष सचिव।

संख्या-521/2023/2895(1)/22-2-2023 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतन्त्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- नोडल अधिकारी/ अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) डायरी सं0-10029/2020 हासम व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 04-03-2022 के सन्दर्भ में।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।